खास खबरें

सहारा स्टेट कॉलोनी में 25 हजार की चोरी

नप्र, भोपालः मिसरोद थाना क्षेत्र की सहारा स्टेट कॉलोनी में फरियादी रंजीत सिंह यादव के सूने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात आरोपी 25 हजार रुपये नकद व अन्य सामान चोरी कर ले गए। पुलिस ने बीएनएस की धारा 331(4), 305ए के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

320 क्वार्टर देशी शराब के साथ युवक गिरफ्तार

भोपाल। रातीबड़ थाना पुलिस ने साक्षी मटिराहा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए राकेश कस्तवार (22) निवासी शासन को 320 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। जब्त शराब की कीमत करीब 32 हजार रुपये बताई गई है। आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचे युवक की मौत

भोपाल। पिपलानी थाना क्षेत्र में डा. सोनम की सूचना पर रोहित यादव (36) निवासी गांधीनगर को बेहोशी की हालत में हमीदिया अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

सड़क हादसे में घायल दीपक शर्मा ने तोड़ा दम

भोपाल। निशातपुरा थाना पुलिस ने सड़क दुर्घटना में घायल दीपक शर्मा (53) निवासी एबी शर्मा के इलाज के दौरान मौत होने पर मर्ग कायम किया है। हमीदिया अस्पताल से मिली सूचना के बाद पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

एक्सीडेंट में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत

भोपाल। निशातपुरा थाना क्षेत्र की किरण सिंह (55), पति भरत सिंह, निवासी करोद, सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद पीपुल्स अस्पताल में भर्ती थीं। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

विवेक सिंह ने दर्ज कराई भाई की गुमशुदगी

भोपाल। अशोका गार्डन थाना क्षेत्र के सी-35 सुभाष कॉलोनी निवासी विवेक सिंह चौहान ने अपने भाई मुकेश सिंह चौहान (38) के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने गुम इंसान कायम कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

निखिल अग्रवाल के लापता होने का मामला दर्ज

भोपाल। कोतवाली थाना क्षेत्र के मालीपुरा निवासी नमन गर्ग ने निखिल अग्रवाल (40), पिता सुरेशचंद्र अग्रवाल, के बिना बताए घर से चले जाने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

पैसों के विवाद में मारपीट, तीन पर केस

भोपाल। बिलखिरिया थाना क्षेत्र के छावनी पठार में फरियादी मनोहर रघुवंशी से पैसों के विवाद पर विजय मालवीय, आशीष और आकाश ने गाली-गलौज कर मारपीट और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

पुल से कूदने पर अज्ञात महिला की मौत

भोपाल। परवलिया थाना क्षेत्र के मुबारकपुर ब्रिज पर करीब 30 वर्षीय अज्ञात महिला ने पुल से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर शव की शिनाख्त और मामले की जांच शुरू कर दी है।

सड़क हादसे में महिला की मौत

भोपाल। बैरसिया थाना क्षेत्र में फूलबाई आदिवासी (52), पति हीरालाल, निवासी शमशाबाद, सड़क दुर्घटना में घायल हो गई थीं। भोपाल केयर अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर हादसे की जांच शुरू कर दी है।

वन विभाग की जमीन पर कब्जे का मामला दर्ज

भोपाल। गुनगा थाना क्षेत्र के जूनापानी में फरियादी वनरक्षक पंकज सिंह रावत की शिकायत पर रमूदा मारन, महेंद्र मारन, सीताराम व अन्य के खिलाफ वन विभाग की जमीन जोतने, शासकीय कार्य में बाधा डालने और मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया है।

स्व. शालिगराम तोमर की राष्ट्रसेवा को मुख्यमंत्री ने किया नमन, दो समाजसेवी सम्मानित

राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि स्वर्गीय शालिगराम तोमर का संपूर्ण जीवन राष्ट्रसेवा और समाज के लिए समर्पित था। उन्होंने न केवल स्वयं राष्ट्रहित में कार्य किया, बल्कि ऐसे अनेक कार्यकर्ताओं का निर्माण भी किया जिन्होंने विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुख्यमंत्री मानस भवन में आयोजित स्व. शालिगराम तोमर स्मृति राष्ट्रसेवी सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे।

कार्यक्रम में नवलय संस्था द्वारा वरिष्ठ समाजसेवी सदाशिव देवधर (पुणे) और अरविंद मोघे को राष्ट्रसेवी सम्मान से सम्मानित किया गया। दोनों समाजसेवियों ने विद्यार्थी परिषद, श्रमिक कल्याण, वनवासी कल्याण सहित विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने दोनों सम्मानित समाजसेवियों को एक-एक लाख रुपये की सम्मान राशि, शॉल और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व. शालिगराम तोमर ने सीमित संसाधनों से संगठनात्मक कार्य प्रारंभ कर उसे व्यापक स्वरूप दिया। उनके व्यक्तित्व और कार्यशैली से प्रेरित होकर हजारों युवाओं ने सामाजिक नेतृत्व का मार्ग चुना। उन्होंने नवलय संस्था द्वारा समाजसेवियों के सम्मान की परंपरा को प्रेरणादायी बताया। समारोह में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, राज्यसभा सदस्य रजनीश अग्रवाल सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। वक्ताओं ने स्व. शालिगराम तोमर के योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों को समाज के लिए प्रेरणास्रोत बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, लोकतंत्र सेनानी और नागरिक भी मौजूद रहे।

शुजालपुर को दो मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों का मिलेगा लाभः मुख्यमंत्री

राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि शाजापुर और शुजालपुर क्षेत्र आने वाले वर्षों में विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा कि इंदौर-उज्जैन और भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों से जुड़ने का लाभ शुजालपुर अंचल को मिलेगा, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक, शैक्षणिक और आधारभूत विकास को गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने शुजालपुर में नवीन शासकीय विधि महाविद्यालय की स्वीकृति सहित विभिन्न विकास कार्यों को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल से चर्चा की। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य महेश केवट भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुजालपुर को शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

विधि महाविद्यालय के साथ अन्य विषयों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वीकृत बड़ी विकास परियोजनाओं का लाभ भी क्षेत्र को मिलेगा। पार्वती-कालीसिंध-चंबल अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना से पूरे शाजापुर जिले को सिंचाई और जल संसाधनों के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार कार्य कर रही है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ दुग्ध व्यवसाय को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

रेस्क्यू किए सांभर को पोहा खिलाना पड़ा महंगा, एसडीओ फॉरेस्ट सस्पेंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश में वन्यजीवों के रेस्क्यू में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। राजधानी से लगे जंगल में रेस्क्यू किए गए सांभर को पोहा खिलाने के आरोप में वन विभाग के एसडीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रमुख सचिव वन अशोक वर्णवाल के सीधे निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। अफसर पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानो के उल्लंघन का आरोप है।

सूत्रों के अनुसार, बीते सप्ताह वन अमले ने एक घायल सांभर को जंगल से रेस्क्यू किया था। रेस्क्यू के बाद सांभर को अस्थायी कैंप में रखा गया। इसी दौरान मौके पर मौजूद एसडीओ फॉरेस्ट ने मानवीय संवेदना दिखाते हुए सांभर को प्लेट में पोहा परोस दिया। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो प्रमुख सचिव वन तक पहुंचा तो उन्होंने तत्काल संज्ञान लिया। विभागीय समीक्षा में इसे गंभीर चूक माना गया। प्रमुख सचिव ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वन्यजीवों के साथ इस तरह का व्यवहार सीधे तौर पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। इसके बाद एसडीओ के निलंबन के आदेश जारी कर दिए गए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत रेस्क्यू किए गए किसी भी वन्यप्राणी को केवल अधिकृत पशु चिकित्सक की निगरानी में तय डाइट ही दी जा सकती है। मानव भोजन जैसे पोहा, रोटी, बिस्किट देने से जानवर के पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ता है और उसकी जंगली आदतें भी बदल सकती हैं। एसओपी में साफ लिखा है कि रेस्क्यू के बाद वन्यप्राणी को तनावमुक्त रखकर विशेषज्ञ की सलाह पर ही आहार दिया जाए।

ब्रह्माकुमारीज़ केंद्र पर सिंधी पंचायत के नव-निर्वाचितों का किया सम्मान

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः संतनगर के ब्रह्माकुमारीज़ सी.आर.पी. केंद्र पर पूज्य सिंधी पंचायत के नव-निर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। केन्द्र प्रभारी बीके वंदना दीदी ने पंचायत के नवनियुक्त अध्यक्ष माधु चांदवानी समेत अन्य पदाधिकारियों का स्वागत किया। उन्होंने ने पंचायत के सदस्यों को ब्रह्माकुमारीज़ संस्थान द्वारा समाज कल्याण, सकारात्मक जीवनशैली और आध्यात्मिक उन्नति के लिए देश-विदेश में की जा रही नि:स्वार्थ सेवाओं से विस्तारपूर्वक अवगत कराया। बताया गया कि ब्रह्माकुमारीज़ संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा (दादा लेखराज कृपलानीजी) भी मूल रूप से सिंधी समाज से ही थे। सिंधी पंचायत के अध्यक्ष माधु चांदवानी ने संस्थान के सेवा कार्यों की सराहना की।

समान नागरिक संहिता विधेयक का प्रारूप अंतिम चरण में, जल्द सौंपी जाएगी रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपालः समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक नई दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन में आयोजित हुई।

समिति की अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति सहित यूसीसी से जुड़े विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की गई। समिति के सदस्य सचिव अजय कटेसरिया ने बताया कि रिपोर्ट और विधेयक की ड्राफ्टिंग अंतिम चरण में है। रिपोर्ट दो भागों में होगी, जिसमें समिति की अनुशंसाएं और जनपरामर्श से जुड़े सुझाव शामिल रहेंगे। समिति द्वारा जल्द ही अपनी अंतिम रिपोर्ट और अनुशंसाएं राज्य सरकार को सौंपे जाने की संभावना है।

ऐशबाग क्षेत्र में बंद मकान से दंपत्ति के शव मिलने से सनसनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के थाना ऐशबाग क्षेत्र के सुदामा नगर में शुक्रवार को एक बंद मकान से बुजुर्ग दंपति के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान हेमंत बारीक और उनकी पत्नी शकुन्तला बारीक के रूप में हुई है। दोनों की उम्र 50 वर्ष से अधिक बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, हेमंत बारीक और शकुन्तला बारीक घर में अकेले रहते थे। पिछले कई दिनों से मकान का दरवाजा बंद था। शुक्रवार को जब किराएदार किराया देने पहुंचे और काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उन्हें संदेह हुआ। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

सूचना मिलते ही थाना ऐशबाग पुलिस मौके पर पहुंची और मकान का दरवाजा खुलवाकर अंदर प्रवेश किया, जहां पति-पत्नी के शव पड़े मिले। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में लोगों की भीड़ जुट गई।

पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल दोनों की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मौत के कारणों का पता लगाया जाएगा। मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।

वेनेजुएला भूकंप पीड़ितों की शांति हेतु ब्रह्माकुमारीज ने की सामूहिक प्रार्थना

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः वेनेजुएला में भूकंप से हुई जनहानि पर शोक व्यक्त करते हुए प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय के भोपाल स्थित राजयोग भवन, सुख-शांति भवन मेडिटेशन रिट्रीट सेंटर (नीलबड़) तथा शहर के विभिन्न सेवा केंद्रों पर विशेष सामूहिक शांति प्रार्थना और राजयोग मेडिटेशन का आयोजन किया गया।

संस्था के अनुसार बीके निर्मला दीदी, बीके नीता दीदी, बीके आराधना बहन, बीके हेमा बहन सहित बड़ी संख्या में राजयोग साधकों ने दिवंगत आत्माओं की शांति, घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ तथा प्रभावित परिवारों को इस दु:ख को सहने की शक्ति मिलने के लिए सामूहिक शुभ संकल्प किए।

इस अवसर पर राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे डॉक्टरों, नर्सों, रेस्क्यू टीमों और स्वयंसेवकों के सुरक्षित एवं सफल सेवा कार्यों के लिए भी सकारात्मक शुभकामनाएं व्यक्त की गईं। वक्ताओं ने कहा कि प्राकृतिक आपदाएं पूरी मानवता को करुणा, सहयोग और वैश्विक एकता का संदेश देती हैं तथा राजयोग मेडिटेशन से सकारात्मक विचार और शांति का संदेश विश्वभर में प्रसारित होता है। कार्यक्रम का समापन विश्व शांति, मानव कल्याण और समस्त पीड़ित परिवारों के उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ दो मिनट के मौन एवं सामूहिक शांति संकल्प से हुआ।

परमेश्वरी देवी की पुण्य तिथि पर हुआ बाल भोज

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः समाजसेविका परमेश्वरी देवी खटवानी की पुण्यतिथि सेवा कार्यों के बीच मनाई गई। उनके सेवाभावी आदर्शों को याद किया गया। वार्ड 4 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों के लिए बाल भोज और फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता महेश खअवानी व परिवार के सदस्य मौजूद रहे।

Online Tender Document" Purchase Of 4442 QTY Desktop and UPS" M.P. Police

STATE CRIME RECORDS BUREAU, POLICE HEADQUARTER, M.P..BHOPAL

No./PHQ/SCRB /STORE/1157/2026 Bhopal, Dated 23.06.2026

"ONLINE TENDER NOTICE "

Online tender are invited by Assistant Inspector General of SCRB, Police Head Quarter, Bhopal on behalf of DGP of MP, for the following on website https://gem.gov.in/

SN.	Name of Works	Tender No.
1	Purchase Of Desktop and UPS For SCRB PHQ	Gem/2026/B/7700237

1. Bids shall be submitted online only at GEM PORTAL.
2. **Critical Date Sheet:**

Published Date	23/06/2026
Pre bid meeting	01/07/2026 Time 12:00
Bid Submission End Date	14/07/2026 Time 18:00
Bid Opening Date	14/07/2026 Time 18:30

AIG SCRB
For: DGP MP
PHQ BHOPAL

जी-14963/26

लालघाटी चौराहाः शहर का मुख्य द्वार, लेकिन जाम का शिकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः लालघाटी चौराहा भोपाल का सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्ततम चौराहों में से एक है।

यह चौराहा भोपाल को सीहोर, देवास, उज्जैन और इंदौर जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ने वाले मार्ग का प्वॉइंट है। इस पर 24 घंटों वाहनों का भारी दबाव रहता है।

इस चौराहे पर ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक तरफ का फ्लाई ओवर तो बनकर तैयार है और चालू भी है। लेकिन दूसरी तरफ का फ्लाई ओवर कब बनेगा, या बनेगा भी या नहीं, इसे लेकर स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। इस अधूरी योजना के कारण नीचे चौराहे पर हर दिन लंबा ट्रैफिक जाम लगता है, जिससे वाहन चालकों का समय और ईंधन दोनों बर्बाद होते हैं।

कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल

जोन क्र.-21 (डॉ0 भीमराव अम्बेडकर), सह्याद्रि परिसर के पास, भदभदा रोड

-:: सार्वजनिक सूचना ::-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि नगर निगम भोपाल के स्वामित्व की दुकान / भूखंड के नामांतरण हेतु जोनल कार्यालय क्र.-21 के समक्ष में आवेदनकर्ता द्वारा उनके नाम से नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

क्र	दुकान क्र.	आवेदक का नाम	पूर्व आवंटी का नाम	वर्तमान में स्थल पर काबिज का नाम	आधार
1.	दुकान क्र.जी-27 नीलबड़ नई बस्ती दशहरा मैदान स्थित व्यावसायिक शॉपिंग काम्पलेक्स लीज खाता क्रं. - 3000002346	श्री सोधीराम सिडाम आ. श्री अगनूराम सिडाम	श्री विश्वजीत सिंह आ. श्री मृत्युंजय सिंह	श्री सोधीराम सिडाम आ. श्री अगनूराम सिडाम	रजिस्ट्रीकृत विक्रय पत्र एवं आवेदन पत्र

उक्त दुकान से संबंधित राजस्व अभिलेखों में उपरोक्तानुसार खातों में नाम परिवर्तन करने में किसी व्यक्ति को कोई वैधानिक आपत्ति है तो वह 15 दिवस के अंदर नगर निगम भोपाल के जोनल कार्यालय क्र.-21 (डॉ. भीमराव अम्बेडकर) सह्याद्रि परिसर के पास, भदभदा रोड को लिखित सूचित कर सकता है। निर्धारित समयावधि 15 दिवस के अंदर आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो नगर निगम भोपाल नाम परिवर्तन करने के लिये सक्षम होगा। तत्पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

जोनल अधिकारी
जोन क्र.-21
नगर निगम भोपाल

निक्रं.363/026/027

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा SAIBA था। जो मेरे पासपोर्ट पर अंकित है। किंतु अब मेरा नाम परिवर्तित होकर SAHEBA KHAN हो गया है। अतः अब मुझे SAHEBA KHAN C/O MOHD SHAMMU MIYAN के नाम से जाना व पहचाना जाए। ADDRESS:02, Guru Nanak Colony, Bairasiya road, Bhopal, Madhya Pradesh-462010

724

नाम परिवर्तन सूचना

मैं, शाहिद अली पुत्र कमर अली निवासी-रिछरा फाटक दतिया दतिया म.प्र. सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ की मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम तनवीर अली TANVEER ALI अंकित हो गया है जबकि उसके जन्म प्रमाण पत्र में तनवी अली (TANVI ALI) नाम दर्ज है जो की सही है अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का सही नाम तनवी अली (TANVI ALI) सभी शासकीय/अशासकीय में पढ़ा-लिखा एवं दर्ज किया जावे ।

723

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि "हम अधोहस्ताक्षरी" के स्वर्गीय पिता श्री गुलाम मोहम्मद का आकस्मिक निधन दिनांक 18 फरवरी 2014 को हो गया था। मृत्यु के समय वह अपने पीछे निम्नलिखित अचल संपत्तियां छोड़ गए थे: संपत्ति क्रमांक 1: मकान नंबर A-34, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कोहेफिजा, भोपाल (तीन मंजिला मकान)। वर्तमान में इस मकान के ग्राउंड फ्लोर उनकी पत्नी श्रीमती नूरुन्निसा निवास कर रही हैं। एवं द्वितीय तल पर इमरान मोहम्मद एवं गुफरान मोहम्मद के कब्जे में और थर्ड फ्लोर पर रिजवान मोहम्मद निवास करते है. संपत्ति क्रमांक 2 : न्यू कबाड़ खाने में दुकान क्रमांक 97 जिस में इमरान और गुफरान पिता के छोड़े हुए व्यापार को चला रहे है संपत्ति क्रमांक 3 : भोपाल प्लाजा, भोपाल टॉकीज स्थित दुकान क्रमांक 7 जो की इरफान मोहम्मद के कब्जे में है उक्त सभी संपत्तियाँ स्वर्गीय गुलाम मोहम्मद के द्वारा अपनी मृत्यु के समय छोड़ी गई थीं। इसलिए कानूनी वारिसों में उनकी पत्नी श्रीमती नूरुन्निसा, उनके चार पुत्रः मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरफान, इमरान मोहम्मद, गुफरान मोहम्मद तथा चार पुत्रियां: कमर रहमान, रिजवाना अहमद, नजराना एवं आसिफा शामिल हैं। उक्त सभी संपत्तियों पर स्वर्गीय गुलाम मोहम्मद के सभी कानूनी वारिसों (पत्नी, पुत्रों एवं पुत्रियों) का समान कानूनी हक व हिस्सा है। हमें ज्ञात हुआ है कि उक्त संपत्तियों को चारों पुत्र (मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरफान, इमरान मोहम्मद एवं गुफरान मोहम्मद) अन्य वारिसों की सहमति के बिना, अवैध रूप से बेचने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि इन संपत्तियों के बंटवारे और विक्रय पर परिवार के सभी कानूनी वारिस सहमत नहीं हैं, इसलिए यह संपत्ति विवादित है। अतः इस सूचना के माध्यम से सर्वसाधारण, किसी भी व्यक्ति, बैंक, वित्तीय संस्था या क्रेता को सचेत किया जाता है कि वे उक्त संपत्तियों के संबंध में किसी भी प्रकार का क्रय-विक्रय, सौदा, एग्रीमेंट, बयाना या कोई अन्य लेन-देन न करें। यदि कोई व्यक्ति इसके बावजूद कोई सौदा करता है, तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा और ऐसा सौदा अन्य वारिसों पर बंधनकारी नहीं होगा।

कमर रेहमत, रिजवाना, नजराना, आसिफा,

Falsal Ali Shah, Advocate
Office: Near Idgah, Jiwajiganj,
A.B. Road, Lashkar, Gwalior (M.P.)
Ph: 9425118435 (Off) 0751-2421217

722

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री कमल कुमार थापा आत्मज स्व. श्री बलबीर थापा निवासी 216 आचार्य नरेन्द्रदेव नगर, गोविन्दपुरा भोपाल के स्वामित्व की संपत्ति एक किता आवासीय मकान क्रमांक एमआईजी बी-टाईप, डी-107, अयोध्या नगर भोपाल में स्थित है जिसका कुल एरिया 135 वर्गमीटर है जिस पर तीन मंजिला मकान निर्मित है को क्रय करने के संबंध में मेरी पक्षकार श्रीमती प्रेमवती जाटव पत्नी श्री सरवन लाल जाटव निवासी मकान नंबर 51, रतनपुर, मुरैना मध्यप्रदेश एवं विक्रेता/संपत्ति मालिक के मध्य करार हुआ है और मेरे पक्षकार ने बयाना राशि का भुगतान कर दिया है। यदि उक्त संपत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में किसी भी व्यक्ति, शासकीय, अर्द्धशासकीय, बैंक, संस्था, वित्तीय संस्थान आदि विक्रय, गिरवी दान, आदि हो या किसी प्रकार का पारिवारिक विवाद या किसी का लेनदेन, वाद विवाद हो तो जाहिर सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर लिखित रूप से साक्ष्य दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। समयावधि पूर्ण होने के पश्चात् किसी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य व स्वीकार नही की जायेगी एवं मेरा पक्षकार सदभाविक क्रेता उक्त संपत्ति का विक्रय पत्र (रजिस्ट्री) अपने पक्ष में पंजिकृत कराने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

ARVIND RAJPOOT,
ADVOCATE
Office- Shop No. 4, Infinity Shopping Complex, Danish Kunj, Bhopal (M.P.)
Mob. No. 9770201166

721

कार्यालय राजस्व निरीक्षक वृत्त 06 मिसरोद, तहसील-कोलार, जिला-भोपाल, म.प्र.

क्रं 06/रा.नि./2026 भोपाल, दि. 18.6.2026

सूचना-पत्र

प्रति, 1- श्रीमती एकता साहू पत्नी दिनेश साहू निवासी मिसरोद 2- श्रीमती सुमित्रा देवी काबरा पत्नी शंकरलाल काबरा नि. ए 423 मिनाल रेसिडेंसी 3- श्री रघुवीरशरण आ. टेकचन्द्र निवासी हरियाणा 4-श्री सुनीता सिंह राजपूत पत्नी बलवंत सिंह राजपूत पता बागमुगालिया भोपाल 5-सर्वसाधारण एवं समस्त हितबद्ध पक्षकार आप सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय तहसीलदार तहसील-कोलार, जिला-भोपाल के राजस्व प्रकरण क्रमांक-0268/अ-12/2026-27 में आवेदिका श्रीमती एकता साहू पत्नी दिनेश साहू निवासी मिसरोद द्वारा ग्राम-बागमुगालिया प.ह.नं.-21, रा.नि.मं-06 मिसरोद तहसील-कोलार, जिला-भोपाल में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 431/5-494 रकबा 0.1050 हेक्टेयर भूमि का सीमांकन किये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका न्यायालय के आदेश पालन में आवेदित भूमि का स्थल पर सीमांकन कर जांच प्रतिवेदन, पंचनामा, फील्डबुक, नक्शा, सूचना-पत्र के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है। अतः आवेदित भूमि का सीमांकन की कार्यवाही दिनांक 29/06/2026 को आवेदित स्थल पर की जायेगी। जिसके संबंध में सूचना-पत्र जारी किया गया। किसी भी प्रकार का अतिआवश्यक शासकीय कार्य आने पर सीमांकन की कार्यवाही स्थगित की जा सकती है।

कार्यालय राजस्व निरीक्षक
वृत्त 06 मिसरोद, तहसील-कोलार,
जिला-भोपाल, म.प्र.

720